सार-समाचार

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रुकवाए

उदयपुर, (कासं)।अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की सम्भावना को देखते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस, जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग, गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर एवं चाइल्ड हेल्प लाइन के संयुक्त प्रयास से उदयपुर संभाग में अब तक कुल 47 बाल विवाह को रोकने के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 अंतर्गत न्यायालय से निषेधाज्ञा जारी की गई। बाल अधिकार विशेषज्ञ एवं पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार डॉ. शैलेन्द्र पंड्या ने बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलाएंस द्वारा प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। उसमें इस बार आमजन ने भी आगे आकर बाल विवाह की सूचना साझा की। अक्षय तृतीया के अवसर पर बुधवार को उदयपुर जिले में 3 बाल विवाह रोकने के साथ कुल 15 बाल विवाह रोके गए। वहीं चित्तौडगढ़ जिले में कुल 15, प्रतापगढ़ में 13, सलूम्बर में 4 रोकने के साथ कुल 47 बाल विवाह रूकवाए गए।एक मामले में न्यायालय द्वारा गायत्री सेवा संस्थान के परिवाद पर निषेधाज्ञा जारी की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि बाल विवाह करना ही नहीं बाल विवाह में सहयोगी होना भी अपराध हैं। बाल विवाह में सम्मिलित होना या ढोली, पंडित, मौलवी या किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध करना भी अपराध हैं।

निर्दोष हिन्दुओं की हत्या पर जताया रोष

बांसवाड़ा, (निसं)। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के आह्वान पर श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में कश्मीर के पहलगाम में मारे गए निर्दोष हिंदू पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हुतात्माओं के सम्मान में 2 मिनट का मौन रख भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रो. राजेश जोशी ने सभ्य समाज को कलंकित करने वाले पाकिस्तानी नरपिशाचों द्वारा किए गए कुकृत्य की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि सबके साथ, सबके विकास की संकल्पना लिए निरंतर बढ रहे भारत की प्रगति से दुखी दुर्दांत आतंकियों ने भारत की समरसता पर आक्रमण किया है। इसका प्रतिकार जरूरी है। इस अवसर पर प्रो. आशीष कुमार, डॉ. लोकेंद्र कुमार, प्रो. किरण पुनिया, डॉ. लक्ष्मण सरगडा, भूदेव भट्ट, डॉ. अजरा परवीन, सहायक आचार्य प्रकाश किंकोड, आदित्य त्रिवेदी और रुचिता गुप्ता आदि महाविद्यालय के संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।

शेष रही राशि की हुई गिनती

मंडफिया, (निसं)। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया के दरबार में गत 26 अप्रैल को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती बुधवार को चौथे चरण में हुई। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर ने बताया कि बुधवार को चौथे चरण में हुई भंडार गिनती में 4 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए। प्रशासनिक अधिकारी टेलर ने बताया कि इससे पूर्व तीन चरणों में हुई भंडार गिनती से 17 करोड़ 50 लाख हजार रुपए नगद प्राप्त हुए थे। इन चारों चरणों को मिलाकर अब तक भंडार से 21 करोड़ 65 लाख 50 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए हैं। भंडार की गणना अभी बाकी है एवं सोने चांदी का तोल भी होना बाकी है। भंडार गिनती में भादसोड़ा नायब तहसीलदार शिव शंकर पारीक, प्रसाशनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, मंदिर प्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा, संपदा एवं गौशाला प्रभारी भेरुगिरी गोस्वामी सहित चुनिंदा मंदिर कर्मचारी एवं बैंक कर्मचारी उपस्थित थे।

स्थापना दिवस पर मजदूर मेला आज

भीम, (निसं)। कस्बे के पाटिया खेल मैदान में इस 1 मई 2025 को, मज़दूर किसान शक्ति संगठन अपने 35 वर्षों के संघर्ष, साहस और जन-प्रतिबद्धता का जश्न मनाते हुए, एक बार फिर से पूरे जोश और उत्साह के साथ मज़दूर मेला आयोजित करने जा रहा है। यह आयोजन न केवल अंतरराष्ट्रीय मज़दूर दिवस का प्रतीक होगा, बल्कि भारत के गाँव-गाँव, खेत-खलिहान और शहरों में चलने वाले जनसंघर्षों की जीवित मिसाल भी बनेगा। हर वर्ष की तरह, इस बार भी देश के विभिन्न हिस्सों से सहित राजस्थान भर से मज़दूर, किसान, छात्र, नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता हज़ारों की संख्या में इस जनउत्सव में शिरकत करेंगे। यह मेला पिछले 35 वर्षों से लगातार पाटियों का चौडा, भीम में आयोजित होता आ रहा है। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि मज़दूरों के अधिकारों, स्वाभिमान और एकजुटता की गूंज है। हर साल यह मेला हमें याद दिलाता है कि न्याय, बराबरी और लोकतंत्र की रोशनी कभी बुझने नहीं दी जा सकती।

धोखे से जेवर की ठगी

उदयपुर, (कासं)। सविना थाना क्षेत्र में वृद्धा को झांसे में लेकर जेवरात की ठगी करने वाले दो बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता लक्ष्मीदेवीप तनी कानजी जोशी निवासी सराड़ा सलूम्बर हॉल सेक्टर 14 ने दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ सविना पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि मैं मकानों में काम करती हूं। 29 अप्रेल सांय मैं घर से सेक्टर 11 जा रही थी। जहां बीच रास्ते उप स्वास्थ्य केन्द्र सेक्टर 11 के समीप मिले एक लडके ने किराया नहीं होने का हवाला देकर रेल्वे स्टेशन जाने का रास्ता पूछा तथा मदद करने की बात कही। इस पर मैने उसे रेल्वे स्टेशन पास ही होना बताया। इसी दौरान आए दूसरे व्यक्ति ने उसकी मदद करने इच्छा जताई तथा उसने बातचीत करने के दौरान झांसे में लेकर मेर कान से सोने का एक झुमका खुलवा कर कागज की पुडिया में बांध कर थमा दिया। सडक पार करने के बाद पुडिया में देखा तो कंकड थे। इस पर बदमाशों को देखा तो सफेद कार में बैठ कर गोवर्धन विलास की तरफ फरार हो गए।

मोबाईल व कॉपर चोरी

उदयपुर, (कासं)। सुखेर थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ फेक्ट्री से मोबाईल व कॉपर चुरा ले जाने का प्रकरण दर्ज किया।जानकारी के अनुसार पीडित हरिश कुमार पुत्र कालुलाल मीणा निवासी निम्बोदा सराड़ा हॉल चौकीदार अर्बन स्क्वायर के पिछे स्थित लक्ष्मी मार्बल ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया।

‘वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज के लिए हितकारी’

राजसमंद, (निसं)। पहले वक्फ बोर्ड अधिनियम केवल लूटने का काम कर रहा था, मोदी सरकार द्वारा पारित संशोधन बिल गरीब पीडित और वंचित मुसलमान के हक के लिए मौलिक पत्थर साबित होगा। अल्पसंख्यक समाज के लिए तीन तलाक कानून उडान योजना मुस्लिम बेटियों के शिक्षा के लिए समाज में बहुत बडा स्थान दिलाएगा।

वहीं उस्ताद योजना के अंतर्गत मुस्लिम कारीगरों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा हैं। वहीं हज के कोटे को बढाया गया हैं। 370 हटाने के बाद कश्मीर के मुस्लिम बच्चें स्कूल की ओर जा रहे हैं। कश्मीर का कायाकल्प हो रहा हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शौचालय योजना आदि का लाभ मुस्लिम समाज को हो रहा हैं। जनधन खातों का लाभ

भाजपा जिला कार्यालय पर वक्फ बोर्ड पर आयोजित कार्यशाला में मौजूद पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

■ **वक्फ संशोधन अधिनियम देश के मुसलमान की दशा और दिशा बदलेगा : हुसैन खान**

भी मिल रहा हैं तथा 70 वर्षों से कांग्रेस ने मुस्लिम को केवल टूल की तरह उपयोग किया हैं। मोदी की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज को हुआ हैं। यह विचार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान ने भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित वक्फ बोर्ड पर आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि कार्यशाला को भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधित कानून अल्पसंख्यक समाज के हित मे कारगर साबित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी योजनाओं को अल्पसंख्यक समाजो को ध्यान में रखते हुए देश मे लागू की हैं, जिसका लाभ सभी उठा रहे हैं और यह वक्फ बोर्ड संशोधित कानून से देश के सभी मुस्लिम भाइयों के हित मे होते हुए सभी इसका लाभ लेंगे। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के तहत मुस्लिम समुदाय का केवल शोषण किया हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ सुधार का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन करना, उनकी आय में वृद्धि करना तथा उस आय का लाभ मुस्लिम समाज के निर्धन परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं में देना हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक प्रदीप काबरा, सह संयोजक मोहम्मद असलम, अजमत कुरेशी, लक्ष्मी नारायण पालीवाल, संभाग प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा हामिद शेख, राजसमन्द प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा अब्दुल कादिर, भानु पालीवाल, सुनील जोशी, महेन्द्रसिंह चौहान, सविता सनाढ्य, ज्योति छापरवाल, खुशकमल कुमावत, मुरारी आशिया, बंटी भाई मंसूरी, अब्दुल करीम रंगरेज, जिलानी शाह, रजिया फरजाना, तुफेल अहमद सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

सेवानिवृति पर दी विदाई

उदयपुर, (कासं)। सीआईडी जॉन उदयपुर के उप निरीक्षक सत्यनारायण गुर्जर की राजस्थान पुलिस में 39 वर्ष की गौरवमयी सेवा पूर्ण कर बुधवार को सेवानिवृत होने पर हुए सीआईडी जोन कार्यालय में विदाई समारोह रखा गया। सीआईडी जोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह, पदस्थापित सभी अधिकारी गण एवं कर्मचारियो ने उन्हें विदाई दी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

डूँगरपुर मुख्य शाखा, पुराना बस स्टैण्ड, डूँगरपुर 314001, फोन नं.: 8875006682 ई-मेल: dungar@bankofbaroda.co.in

कब्जा सूचना
(चल/अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, **ऋणी मैसर्स बालाजी इंजीनियरिंग प्रोपराईटर अनिल जाँगिड़ पुत्र सीताराम जाँगिड़ पर मांग सूचना दिनांक 10.12.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि रू. **12,79,855.01 (रूपये बारह लाख उन्नासी हजार आठ सौ पचपन एवं पैसे एक मात्र)** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 25, माह अप्रेल, वर्ष 2025** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार रू. **12,79,855.01 (रूपये बारह लाख उन्नासी हजार आठ सौ पचपन एवं पैसे एक मात्र) एवं ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्रभार के अधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में,अधिनियम की धारा 13(8) केप्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

चल वस्तुओं का वर्णन
1. 60 टन प्रेस मशीन
2. बोरिंग मशीन
3. पाईप प्रेस मशीन

स्थान: डूँगरपुर
दिनांक: 25.04.2025
हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

डूँगरपुर मुख्य शाखा, पुराना बस स्टैण्ड, डूँगरपुर 314001, फोन नं.: 8875006682 ई-मेल: dungar@bankofbaroda.co.in

कब्जा सूचना
(चल/अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **मैसर्स डी. एस. एडवरटाइजर प्रोपराईटर श्री चितवन जैन पुत्र सुरेश कुमार जैन पर मांग सूचना दिनांक 10.12.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि **रू. 13,84,184.32 (रूपये तेरह लाख चौरासी हजार एक सौ चौरासी एवं पैसे बत्तीस मात्र)** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 25, माह अप्रेल, वर्ष 2025** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **रू. 13,84,184.32 (रूपये तेरह लाख चौरासी हजार एक सौ चौरासी एवं पैसे बत्तीस मात्र) एवं ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार के अधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

चल वस्तुओं का वर्णन
1. पी 4 आउटडोर आरजीबी एसएमडी एलईडी मोबाइल वैन डिस्प्ले स्क्रीन (जिसमें स्वचालित हाइड्रोलिक एलईडी सिस्टम, वोल्टेज सर्वो स्टेबलाइजर, पेट्रोल साइलेंट जेनरेटर्स, साउंड सिस्टम शामिल हैं)

स्थान: डूँगरपुर
दिनांक: 25.04.2025
हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी

कलक्टर ने ली जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक

उदयपुर, (कासं)। शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादक समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले की शिक्षण व्यवस्था से जुडे. विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई।

जिला कलक्टर मेहता ने विशेष रूप से शाला दर्पण पोर्टल की रैंकिंग में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया। शाला दर्पण रैंकिंग के लिए निर्धारित मानकों की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (सीबीईओ) को ब्लॉकवार रोडमैप तैयार करने और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटडा और सलूम्बर सीबीईओ द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अवार्ड एंट्री और पुस्तकालय पैरामीटर में शून्य प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि अपेक्षित सुधार नहीं करने वाले और संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट जारी की जाए। वहीं, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बड़गांव सीबीईओ मुकेश पालीवाल की सराहना की और अन्य सीबीईओ को भी विशेष प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।जिला कलक्टर ने कहा कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जिले में कोई

कलक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक लेते जिला कलक्टर नमित मेहता।

भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने आगामी प्रवेशोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने का आह्वान किया।

उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिदिन प्रवेशोत्सव की प्रगति की निगरानी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी बच्चा यदि स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसे नजदीकी विद्यालय में दाखिला दिलाया जाए। यह कार्य मिशन मोड में किया जाना चाहिए।हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 50 हजार पौधे लगाने की योजना पर भी चर्चा हुई। जिला कलक्टर ने सुझाव दिया कि स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक बच्चे के नाम पर एक पौधा लगाया जाए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी बच्चे को सौंपी जाए। बैठक में जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार जैन, सभी सीबीईओ और संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

आश्रम का हुआ उद्घाटन

उदयपुर, (कासं)। श्री रामचंद्र मिशन के संस्थापक गुरु पूज्य श्री बाबूजी महाराज के 126 में जन्म दिवस के उपलक्ष में कन्हा शांति वनम हैदराबाद आश्रम से अध्यक्ष एवं विश्व मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल- दाजी ने उदयपुर केंद्र के नवनिर्मित आश्रम भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया।

उदयपुर केंद्र समन्वयक डॉ राकेश दशोरा ने बताया कि इस अवसर पर हार्टफुलनेस संस्था के मुख्य वास्तुकार विजय भाई व्यास, वास्तुकार अमित खंडेलवाल सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। आईटी टीम द्वारा आश्रम के स्वरूप की पीपीटी दिखाई गई साथ ही मिशन की महिला प्रशिक्षकों एवं अतिथियों द्वारा उदघाटन शिलालेख का अनावरण किया। इसमें जोनल कोऑर्डिनेटर मधु मेहता, अंजलि चावत, अनुपम निधि, आशा शर्मा, महिमा तापडिया, मुंबई केंद्र से आई डॉ अपर्णा , वडोदरा केंद्र से पधारी मीनल व्यास इत्यादि की भूमिका रही।

कार्यालय परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना उदयपुर
पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, बड़ी रोड़ उदयपुर (राज.)

दुरभाष नं.9829111664, 9660226664 Email:udrswapho@gmai.com
क्रमांक : एफ 1 ( )/प.अ./स्वच्छ/2025-26/1278-79 दिनांक:-30-4-2025

:: खुली-निविदा (बोली) निविदा सूचना संख्या 04/2025-26::

UBN No.:- SWP2526WSLB00236, SWP2526WSLB00240, SWP2526WSLB00242, SWP2526WSLB00243, SWP2526WSLB00244, SWP2526WSLB00245, SWP2526WSLB00246, SWP2526WSLB00247, SWP2526WSLB00248, SWP2526WSLB00249, SWP2526WSLB00250

जनजाति जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग के वित्तीय स्वीकृति से स्वच्छ परियोजना उदयपुर में आश्रम छात्रावासों एवं आवासीस विद्यालयों Installation ofTubewell Work at TAD Boy Hostel Kotda, TAD Boy Hostel Jhadol, TAD Girl Hostel Gogunda New, TAD Boy Hostel Gogunda New, TAD Boy HostelAdiwali, TAD Boy Hostel Sarera, TAD Boy Hostel Balicha, TAD Girl Hostel Kanbai,TAD Girl Hostel Saroli,TAD Girl Hostel Kherwada New, TAD Boys Hostel Kherwada New at Udaipur में ट्यूबवेल वैधन मय पम्प स्थापना कार्य इस कार्यालय द्वारा करवाये जाने है। इस हेतु अनुभवी एवं पंजीकृत संवेदको से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की खुली निविदा की प्रति दिनांक 28.04.2025 से 09.05.2025 तक वेबसाईट **www.sppp.rajasthan.gov.in** व कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है। खुली निविदा के टेंडर डॉक्यूमेंट, स्टाम्प व डी.डी.(परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना उदयपुर के पक्ष में) कार्यालय में हार्ड कॉपी में दिनांक 09.05.2025 दोपहर 2.00 बजे तक जमा लिये जाकर तकनीकी निविदाएं दिनांक 9.05.2025 दोपहर4.00 बजे से खोली जायेगी।

उक्त ई-निविदाओं की जानकारी नियम एवं शर्ते इत्यादि वेब साईट **www.sppp.rajasthan.gov.in** तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

परियोजना अधिकारी

युवक गिरफ्तार

राजसमंद, (निसं)। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी एवं एएसपी महेन्द्र पारीक के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस ने सस्ता लोन दिलाने के नाम पर गरीब युवक का बैंक खाता खुलवाकर लाखों रूपयों का लेनदेन करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी गोपाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला राजनगर ने रिर्पोट दर्ज कराई।

स्कूल का समय बदला

उदयपुर, (कासं)। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार आगामी दिनों में उदयपुर जिले में भीषण गर्मी लू (हीट वेव) को देखते हुए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के कक्षा प्री प्राइमरी से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय का समय 1 मई से सत्रांत तक प्रात: 7:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र जैन ने बताया कि वार्षिक परीक्षा व अन्य परीक्षा पूर्व निर्धारित समय विभाग चक्र के अनुसार संचालित होगी एवं समस्त स्टाफ का समय शिविरा पंचांग के अनुसार रहेगा। आदेश की समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय द्वारा अक्षरश: पालना सुनिश्चित करनी होगी।

पहलगाम आतंकी हमले में मृतक पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि

बांसवाड़ा, (निसं)। राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की ओर से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गये पर्यटकों को प्राचार्या डॉ.सरला पंड्या की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा में पुष्पांजलि अर्पित की गयी।

भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के नोडल डॉ.सर्वजीत दुबे ने कहा कि पहलगाम की घटना ने एक तरफ भावनाओं का ज्वार इतना बढ़ा दिया है कि रात सपने में भी पहलगाम ही दिखाई देता है, दूसरी तरफ खबरों का संसार ऐसा है कि व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया है। क्या करें, क्या न करें के बीच झूलता हुआ इंसान अनिश्चय के भंवर में डूबता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि शिक्षा संस्थान भावनाओं के ज्वार को सम्यक दिशा प्रदान करके राष्ट्रनिर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं।

प्रो.दुबे ने कहा कि आतंकी का मुख्य उद्देश्य भारत को दंगे की आग में झोंकना था किंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक तरफ धर्म और नाम पूछ कर निर्दोषों को गोली मारने वाले आतंकी थे तो दूसरी तरफ इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले इंसान भी वहां थे। भारत की

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गये पर्यटकों को पुष्पांजलि अर्पित की।

सनातन परंपरा की यह खूबी है कि इतनी बडी नृशंस घटना के बाद भी बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्योंकि भारत सत्य, प्रेम, अहिंसा का पुजारी है और इस रास्ते पर चलते हुए सभी के बीच सामंजस्य बिठाकर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। जबकि धर्म के आधार पर बना पडोसी देश पाकिस्तान असत्य, घृणा और हिंसा के रास्ते पर चलते हुए आज दुर्दिन दशा में पहुंच गया है और विघटन के कगार पर है तड़पता आदमी सब्रो करार क्या जाने

जो नफरतों में पला हो वो प्यार क्या जाने। डॉ प्रमोद वैष्णव ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन बढ़ने के साथ यह क्षेत्र उन्नति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था जो पडोसी देश को कबूल नहीं हुआ। आतंकी भेजकर जो नृशंस हत्या करवाई गई है उससे वह देश ही नहीं, धर्म भी कलंकित हुआ है। प्राचार्या डॉ.सरला पंड्या ने कहा कि हम सभी के लिए यह बहुत दुख की घड़ी है जब निर्दोष भारतीय नागरिकों को निर्मम तरीके से धर्म के आधार पर मार दिया गया। ऐसे में हम सभी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और चुनौती की घडी में परिवार के साथ और राष्ट्र के साथ खडे हैं। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। हमारा देश और हमारी सरकार करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

उदयपुर, (कासं)। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के अनुसंधान निदेशालय में प्राकृतिक खेती को बढावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ।

प्रशिक्षण में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के 12 जिलो के 30 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के शुभारंभ के अवसर में कुलपति डॉ अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि प्राकृतिक खेती का प्रमुख उदेद्श्य किसानो की कृषि आदानो पर निर्भरता को कम करना है। भारत सरकार का प्राकृतिक खेती को कम से कम 1करोड किसानों तक लक्ष्य है। उन्होने कहा कि यदि हर वर्ष 2 प्रतिशत प्रारम्परिक खेती प्राकृतिक खेती में परिवर्तित हो जाये तो 10 वर्षो में कुल 20 प्रतिशत प्राकृतिक खेती का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा। डॉ कर्नाटक ने बताया कि प्राकृतिक उत्पादों का प्रमाणिकरण होना अत्यन्त आवश्यक है। हरित क्रांति से हमने उत्पादन तो बढाया पर रसायनों के अधिक व अंधाधुंध उपयोग के कारण प्रकृति एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का सामना भी किया है। डॉ कर्नाटक ने कहा की प्राकृतिक खेती से उत्पादन में होने वाली प्रारम्भिक कमी को पूरा करने के विकल्प खोजने होंगे।

कार्यालय नगर परिषद निम्बाहेड़ा

क्रमांक/नपनि/निर्माण/2025-26/835 दिनांक: 28-04-2025

ऑन लाईन निविदा सूचना नं.04/2025-26
(https://sppp.rajasthan.gov.in & https://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशन के लिये)

नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा नगर निकाय में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य विभागो में 'ए' एवं 'एए' श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाइड eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा शर्ते एवं निविदा प्रपत्र संवेदक sppp.rajasthan.gov.in, & eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकेगें। उक्त निविदा वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in के NIB Code DLB2526A पर देखे तथा निविदा का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 %	अमानत राशि 0.50 %	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Development & Beautification works at Kalyn Chowk Nimbahera (Phase-II).	50.00	1,00,000	25,000	1000	500	03 Month

निविदा दिनांक का विवरण निम्नानुसार होगा:-

निविदा पब्लिश दिनांक एवं समय	दिनांक 30.04.2025 प्रात: 11.00 बजे से
ऑन लाईन निविदा डाउनलोड दिनांक एवं समय	दिनांक 30.04.2025 प्रात: 11.00 बजे से
ऑन लाईन निविदा जमा करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	दिनांक 12.05.2025 साय: 06.00 बजे तक
ऑन लाईन राशि जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय	दिनांक 12.05.2025 साय: 06.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 13.05.2025 दोपहर 12.00 बजे

निविदा शर्त:-

1. संवदेक द्वारा अमानत राशि, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क नगर परिषद निम्बाहेडा के HDFC Bank, Branch-Nimbahera (Raj.), खाता संख्या 50100609648263, IFSC Code- HDFC 0002588 में ऑन लाईन जमा करवायी जा सकेगी।
2. संवदेक द्वारा ऑन लाईन जमा करवाई गई राशि की रसीद की प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर नगर परिषद की मेल आईडी nagarpalikaNimbahera@gmail.com पर दिनांक 13/05/2025 को प्रात: 11:00 बजे तक मेल करवाना अनिवार्य होगा। प्रार्थना पत्र में संवदेक द्वारा जिस कार्य के पेटे अमानत/प्रोसेसिंग/निविदा शुल्क जमा करवाई गई है उस कार्य का निविदा क्रमांक, कार्य का नाम एवं जमा राशि का पृथक-पृथक विवरण अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। उक्त सूचना निर्धारित अवधि से पूर्व संवदेक द्वारा उपरोक्तानुसार नगर परिषद की मेल आई.डी. पर प्राप्त नही होने की स्थिति में संवदेक की निविदा कॉपी निरस्त मानी जावेगी।
3. राशि परिषद मे जमा की संतुष्टी पश्चात संवेदक का निविदा प्रपत्र पात्र माना जावेगा।
4. संवेदक द्वारा कार्यालय में निविदा विक्रय तिथि में किसी भी कार्य दिवस में 09.30 से 06.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। निविदादाताओ की कोई भी शर्त मान्य नही होगी।
5. अमानत राशि, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क ऑन लाईन ही स्वीकार की जावेगी।
6. प्रस्तुत दरे सभी करों सहित मान्य होगी अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
7. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 के नियम एवं शर्ते निविदा मे लागू होगें।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार परिषद को होगा।
9. सिविल विवाद की स्थिति में स्थानीय सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होगा।
10. RTPP एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 की सभी नियमों एवं शर्ते पूर्णत: प्रभावी रहेगी।
11. संवेदक को देय भुगतान परिषद की वित्तीय स्थिती अनुसार किया जावेगा।
12. संवेदक को GST पंजीयन प्रमाण-पत्र, ठेकेदारी रजिस्ट्रेक्शन पत्र, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, अमानत की रसीद की प्रति ऑन लाईन अटेच करनी होगी।
13. कार्य की निविदाओ के लिये तकनीकी आंकलन में सफल निविदाओ की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
14. कार्य का दोष निवारण एवं सुधार का जिम्मा (DLP) नियमानुसार स्वयं ठेकेदार का होगा।
15. उक्त दिवस को किसी भी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित होने पर कार्यवाही आगामी कार्य दिवस को सम्पादित की जावेगी।
16. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्ते मान्य होगी। इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईड https://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जावेगा जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संवदेक की होगी।
17. संवेदक का अंतिम 3 वर्ष का औसत टर्न ऑवर कम से कम 50 लाख होना आवश्यक है। जिसके लिए सी.ए. से प्रमाणित टर्न ऑवर प्रमाण-पत्र यूडीआईएन न. सहित संलग्न करना आवश्यक हैं।
18. संवेदक को पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यकरण का कम से कम 50 लाख के एक कार्य का अनुभव गत 03 वर्ष में होना चाहिए।
19. संवेदक को गत 03 वर्ष में कम से कम 2600 किलो गनमेटल स्टेच्यू के कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
20. संवेदक का PF and ESI के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
21. संवेदक द्वारा गत 3 माह का जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र 1, 3 बी संलग्न करना आवश्यक हैं।
22. संवेदक की बिड क्षमता कम से कम 50 लाख होना आवश्यक है जिस आशय का सीए द्वारा प्रमाणित यूडीआईएन न. सहित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा तथा बी की वेल्यु 500/-रूपये के स्टाम्प पर अनिवार्य प्रस्तुत करनी होगा, जो निम्न सूत्र से के अनुसार गणनित होगी-

Bid Capacity = 2 x A x N - B
A - is maximum value of work executed in any one year during last 3 year
N - is No of year for completion of work
B - Work in hand & ongoing

(विकास पंचोली)
अध्यक्ष, नगर परिषद निम्बाहेड़ा

(कौशल कुमार खटुमरा)
आयुक्त, नगर परिषद निम्बाहेड़ा